Order sheet [Contd]

case No B.A. 424/17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

11-12-17

आवेदक जसवंत द्वारा श्री के. के. शुक्ला अधिवक्ता उप0। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना मौ के अपराध क्रमांक 286/17 अंतर्गत धारा—34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम की कैफियत व केस डा.यरी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 के साथ में आवेदक जसवंत की पत्नी श्रीमती मुन्नी बाई का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0स0 है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है तथाकथित अपराध से उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक से किसी भी प्रकार की कोई शरब बरामद नहीं हुई है तथा आवेदक के पंचनामे पर भी हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक रतवा परगना गोहद का स्थानीय निवासी होकर गरीब हरिजन जमादार होकर 55 वर्षीय है। पुलिस द्वारा आवेदक को 70 लीटर कच्ची शराब जप्त बताकर झूठा फसाया है। आवेदक मजदूरी पेशा व्यक्ति है और मजदूरी के अलावा उसके परिवार के भरण पोषण का अन्य कोई साधन नहीं है यदि आवेदक को अधिक समय तक जेल में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन दिनांक 16.11.17 को निरस्त किया गया है। आवेदक निर्दोष है और उसे जेल में रहते हुए काफी समय हो गया है। उक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रहा किए जाने की प्रार्थना की है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 31.10.17 को आवेदक/अभियुक्त जसवंत उर्फ जसराम जमादार के घर से तलाशी के दौरान 35—35 लीटर के दो कट्टी कच्ची शराब कीमती करीब 3,500/—रूपए मिली जिसे जप्त किया गया। इस प्रकार शराब की मात्र 50 बल्क लीटर से अधिक है। अतः मामले की परिस्थितियों, तथ्यों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।	Ī
ALIA A	(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड	
STIERO.		(1)
	A TAIN TO SHAPE	
	WILHOUS PAREIDS SUNTA PAREIDS	
	21	